Hkkjr ljdkj

is;ty ,oa LoPNrk ea=ky;

**jkT; lHkk**

**vrkjkafdr iz”u la[;k 660**

**fnukad 27-07-2015 dks mRrj fn, tkus gsrq**

**xzkeh.k {ks=ksa esa is;ty dh izfr O;fDr miyCèrk**

**660- Jh ifjey uFkokuh%**

D;k is;ty ,oa LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k xzkeh.k {ks=ksa esa jg jgs ifjokjksa dks jk"Vªh; xzkeh.k is;ty dk;ZØe ds varxZr fofufnZ"V fn'kk&funsZ'kksa ds vuqlkj izfr O;fDr izfrfnu ¼,yihlhMh½ 40 yhVj ikuh fey jgk gS(

¼[k½ ;fn gk¡] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS( vkSj

¼x½ ;fn ugha] rks xzkeh.k {ks=ksa esa vko';d ikuh dh ek=k dh miyCèkrk fuf'pr le;&lhek esa lqfuf'pr djus ds fy, ljdkj }kjk D;k mik; fd, x, gSa\

**mRrj**

**jkT; ea=h] is;ty ,oa LoPNrk ea=ky;**

**¼Jh jke d`iky ;kno½**

(क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत देश में ग्रामीण आबादी को 40 लीटर पेयजल प्रति व्यक्त‍ि प्रतिदिन (एलपीसीडी) उपलब्ध कराने का मानदंड है। दिनांक 1-4-2015 की स्थ‍िति के अनुसार ग्रामीण आबादी के 74.14 प्रतिशत भाग को न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्त‍ि प्रतिदिन (एलपीसीडी) की उपलब्धता के साथ पूरी तरह कवर कर लिया गया है। आबादी के शेष 21.96 प्रतिशत भाग को आंशिक रूप से कवर किया गया है और उन्हें अपेक्षित मापदंड से कम पेयजल आपूर्ति प्राप्त हो रही है। इसके अलावा, आबादी के 3.90 प्रतिशत भाग को आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह तत्व, नाइट्रेट और लवणता जैसे विभिन्न संदूषकों की वजह से पीने योग्य पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है।

दिनांक 1-4-2015 की स्थ‍िति के अनुसार राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर प्रविष्ट‍ि किए गए आँकड़ों के अनुसार देश में कुल 17,13,303 ग्रामीण बसावटों में से 12,70,199 परिवार पूरी तरह कवर कर लिए गए हैं, 3,76,343 परिवार आंशिक रूप से कवर किए गए हैं और देश में 66,761 परिवार गुणवत्ता प्रभावित हैं।

(ग) पेयजल राज्य का विषय है। भारत सरकार केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ बढ़ावा देती है। राज्य सरकारों के पास एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति के साथ अधिक बसावटें कवर करने के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं का चयन करने, आयोजना बनाने, अनुमोदन करने और कार्यान्व‍ित करने की शक्त‍ियाँ हैं।

सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यनीति बनाई है। दो पंचवर्ष‍ीय योजना अवधियों को कवर करते हुए वर्ष 2011-2022 तक की अवधि के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए कार्यनीति योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 अर्थात 12वीं पंचवर्ष‍ीय योजना अवधि के अंत तक पाइप द्वारा जल आपूर्ति के साथ सभी ग्रामीण परिवारों के 50 प्रतिशत को, और घरेलू जल कनेक्शनों के साथ 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को कवर करने का अंतरिम लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जल आपूर्ति करने और 80 प्रतिशत परिवारों को नल कनेक्शनों के साथ कवर करने का लक्ष्य है।

\*\*\*\*\*